संख्या-23/2018/546 ई-2/तेरह-2018-53/2013

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 मार्च,2018

विषय:-मे0 मोदी आसवनी, मोदीनगर, गाजियाबाद के परिसर में 02 किली0 प्रतिदिन क्षमता का माल्ट स्प्रिट प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-37/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 05 अगस्त,2017, पत्र संख्या-जी-79/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 16 नवम्बर,2017 तथा पत्र संख्या-जी-109/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 16 फरवरी,2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 24-01-1990 में वर्णित स्थिति के अधीन इकाई की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 48.425 लाख लीटर वार्षिक के अधीन पेय क्षमता के अन्तर्गत ही 02 किली0 प्रतिदिन क्षमता का माल्ट स्प्रिट प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत आसवनी द्वारा माल्ट स्प्रिट का निर्माण करने हेतु गैर शीरा पदार्थ जैसे-अनाज, आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/स्टेम आदि अन्य रॉ मेटेरियल आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा, बल्कि प्रश्नगत आसवनी द्वारा बाहर से माल्ट क्रय करके स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट में माल्ट स्प्रिट का निर्माण किया जायेगा। साथ ही इकाई द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in